(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 32/2021-State Tax

Dated: the January 2022

- No. F.3(141)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I//3

 In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—
- 1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from the 29th August, 2021.
- 2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, —
- (i) in sub-rule (1) of rule 26,-
 - (a) in the fourth proviso, or the figures, letters and words "31st day of August, 2021", the figures, letters and words "31st day of October, 2021" shall be substituted;
 - (b) with effect from the 1st day of November, 2021, all the provisos shall be omitted;
- (ii) with effect from the 1st day of May 2021, in rule 138E, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided also that the said restriction shall not apply during the period from the1st day of May, 2021 till the 18th day of August, 2021, in case where the return in FORM GSTR-3B or the statement of outward supplies in FORM GSTR-1 or the statement in FORM GST CMP-08, as the case may be, has not been furnished for the period March, 2021 to May, 2021.";

(iii) in FORM GST ASMT-14, -

- (a) after the words, "with effect from -----", the words, "vide Order Reference No. ----, dated -----" shall be inserted;
- (b) the words, "for conducting business without registration despite being liable for registration" shall be emitted;
- (c) at the end after "Designation", the word "Address" shall be inserted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

Dated: the 6' January 2022

No. F.3 (141)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I//3

Copy forwarded for information to:-

- 1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- 2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

11. Website.

12. Guard File.

(Manoj Kumar)

Dy. Secretary I (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide notification No. 3/2017-State Tax, dated the 22nd June, 2017, published vide No. F3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and were last amended vide notification No. 30/2021 - State Tax, dated the 05th January, 2022, vide No. F.3(140)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/07, dated the, 05th January, 2022.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय–I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 32/2021 -राज्य कर

दिनांकः 6' जनवरी, 2022

सं0फा0 03(141)/वित्त (व्यय—I)/2021—22/डीएस—I//3 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की स्फिरारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2021 है ।
 - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम 29 अगस्त, 2021 से लागू होंगे।
- 2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--
- (i) नियम 26 के उपनियम (1) मे --
 - (क) चौथे परंतुक में, "31 अगस्त, 2021' अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "31 अक्तूबर, 2021" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
 - (ख) 1 नवंबर, 2021 से सभी परंतुकों का लोप किया जाएगा;
- (ii) 1 मई, 2021 से, नियम 138ङ में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि उक्त निर्बंधन 1 मई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी या प्ररूप जीएसटीआर—1 में जावक प्रदायों का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी—8 में विवरण मार्च, 2021 से मई, 2021 की अविध के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।";

- (iii) प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14 में,-

 - (ख) "क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बादजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा

(ग) अंत में, "पदनाम" के पश्चात्, "पता" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

दिनांक:

(मनोज कुमार) उप सचिव— I (वित्त) ६ जनवरी, 2022

सं0फा0 03(141)/वित्त (व्यय—I)/2021—22/डीएस—I//3

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिव लय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- वब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।

र्थ्या कुमार) उप सचिव— I (वित्त)

टिप्पणः मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग—IV में संख्यांक सं0फा0 03(10)/वित्त (राजस्व—I)/2017—18/डीएस—VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017— राज्य कर, तारीख 22 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सं0फा0 03(140)/वित्त (व्यय—I)/2021—22/डीएस— I/07, तारीख 5 जनवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 30/2021— राज्य कर, तारीख 5 जनवरी, 2022द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।